प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 35 सन 2022

अनवान :–

1. अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 26/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 320/291 की कुल 14.7190हैक्ट में से 641/73595 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सतार खां पुत्र उमरदीन दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 320/291 की कुल 14.7190हैक्ट में से 641/73595 हिस्सा में प्रार्थी का नाम सतार खां पुत्र उमरदीन के स्थान पर अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासंन गांव के संग(फोलाअप) अभियान वर्ष – 2022 में पेश हुई ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 320/291 की कुल 14.7190हैक्ट में से 641/73595 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सतार खां पुत्र उमरदीन दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 320/291 की कुल 14.7190हैक में से 641/73595 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम सतार खां पुत्र उमरदीन दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड अदि सभी में प्रार्थी का नाम अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 320/291 की कुल 14.7190हैक में से 641/73595 हिस्सा में प्रार्थी का नाम सतार खां पुत्र उमरदीन के स्थान पर सतार खां उर्फ अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट...... गोरखाना डी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/1620 दिनांक :– 26/5/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 35/2022 अनवानी अब्दुल सतार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–
1. अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 35/2022 अनवानी अब्दुल सतार बनाम सरकार में दिनांक 26/5/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 320/291 की कुल 14.7190हैक में से 641/73595 हिस्सा में प्रार्थी का नाम सतार खां पुत्र उमरदीन के स्थान पर सतार खां उर्फ अब्दुल सतार पुत्र उमरदीन संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट...प्रतिहानी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner